

समाचार प्रकाशनार्थरू.

अंकुर अभियान के तहत विभिन्न उद्यानों में 425 पौधों का किया रोपण
प्राण वायु हेतु पौधों को सहेजने का लिया संकल्प

रतलाम 01 मार्च । प्राण वायु हेतु शासन द्वारा 1 से 5 मार्च तक चलाये जा रहे अंकुर अभियान के प्रथम दिन नगर के विभिन्न उद्यानों में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारियाए जनप्रतिनिधि पत्रकार व नागरिकों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण कर उन्हें सहेजने का संकल्प लिया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि शासन द्वारा चलाये जा रहे अंकुर अभियान के तहत नगर के 101 उद्यानों में 10.10 कुल 1000 पौधों रोपने की कार्य योजना के प्रथम दिन 01 मार्च मंगलवार को निगम स्वामित्व के श्री कालिका माताए अमृत सागरए हनुमान तालए गुलाब चक्कर उद्यान सहित अन्य उद्यानों में शीशमए केशियाए गुड़हलए नीमए करंजए अमलतासए कनेर आदि प्रजातियों का पौधा रोपण करते हुए 425 पौधों का रोपण किया गया।

पौधा रोपण के अवसर पर पूर्व महापौर श्री बैलेन्द्र डागाए पूर्व महापौर परिशद सदस्य एवं पार्श्व श्री भगतसिंह भदौरियाए श्रीमती मनीशा शर्माए श्री मुन्नालाल शर्माए श्रीमती अदिती दवेसरए श्रीमती बबीता नागरए मंडल अध्यक्ष श्री मयूर पुरोहितए पत्रकार श्री नरेन्द्र जोषीए श्री अनिल पांचालए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए श्री मोहम्मद हनीफ शेखए उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मेन्द्र दोगायाए झोन प्रभारी श्री विनय चौहान आदि उपस्थित थे।

नगर निगम के विभिन्न करों से 2^ए46 लाख राजस्व प्राप्त हुआ

रतलाम 01 मार्च । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास शाखाए बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करों के तहत 01 मार्च मंगलवार को कुल राशि रुपये 2^ए46^ए543^ए का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 01 मार्च मंगलवार को संपत्तिकर षिविर से 121060ए कार्यालय 78463 कुल 199523ए जलकर षिविर 47020 इस तरह कुल राशि रुपये 2ए46ए543६ का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

खुले में गंदगी करने पर 3 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 01 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैंए मलबा डालकर अतिक्रमण करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 01 मार्च मंगलवार को 3 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार सैलाना बस स्टैंड क्षेत्र में खुले में गंदगी करने पर युवराज ऑटो गैरेजए धर्मवीर ऑटो गैरेज पर 500.500 व पूनम ऑटो गैरेज पर 250 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईष दी।

नेशनल लोक अदालत का 12 मार्च शनिवार को आयोजन

संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा करने पर अधिभार ,सरचार्जद्ध की राशि में छूट

बकायादार 2 स्थानों पर जमा करा सकेंगे बकाया राशि

रतलाम 01 मार्च । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार ,सरचार्जद्ध में छूट देने हेतु 12 मार्च 2022 शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत बकाया राशि जमा कराने हेतु नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में षिविर का आयोजन कार्यालयीन समय में किया गया है।

आयोजित नेशनल लोक अदालत में सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000₹ ;रुपये पचास हजार₹ तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 10,000₹ ;रुपये दस हजार₹ तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000₹ ;रुपये पचास हजार₹ से अधिक तथा रुपये 1,00,000₹ ;रुपये एक लाख₹ तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 10,000₹ से अधिक तथा रुपये 50,000₹ तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट।

सम्पत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 1,00,000₹ ;रुपये एक लाख₹ से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट तथा जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रुपये 50,000₹ से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट।

उक्त छूट मात्र एक बार ,व्दम ज्पउम ैमजजसमउमदज₹ ही दी जायेगी। यह छूट वर्ष 2020-21 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। यह छूट मात्र दिनांक 12-03-2022 की नेशनल लोक अदालत के लिये मान्य होगी।

नगर निगम द्वारा संपत्तिकर एवं जलकर के बकायादारों से अपील की जाती है कि 12 मार्च 2022 शनिवार को आयोजित एक दिवसीय लोक अदालत के तहत नगर निगम कार्यालय में फायर स्टेशन भवन के पास संपत्तिकर व जलकर काउंटर तथा जिला न्यायालय परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार ;सरचार्ज₹ में छूट का लाभ उठावें।

01 मार्च को 89 टन कचरा जुलवानिया पहुंचा

रतलाम 01 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^० चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 01 मार्च मंगलवार को 89 टन कचरा जुलवानिया टे^० चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

01 मार्च मंगलवार को डम्पर से 36530ए टे^० कटर से 10015ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 32120ए काम्पेक्टर गीला कचरा 10905 किलो इस तरह कुल 89570 किलो कचरा जुलवानिया टे^० चिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

9 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होंगे सेवा से बर्खास्त

रतलाम 01 मार्च । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार वार्डों में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डों में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत प्रातः 9 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

01 मार्च मंगलवार को वार्डों में सफाई मित्रों की उपस्थिति के दौरान प्रातः झोन क्रमांक 1 में जगदीष.बेजूए पुशपाबाई पति प्रहलादए उमेश.प्रहलादए विजय.शांतिलालए विजय.फुलचन्दए अनिल.अर्जूनए बादल.दिलीपए झोन क्रमांक 4 में जितेन्द्र.बेजूलालए विषाल.कुवंरए मुकेश.दिनेश इस तरह 9 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल

से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्तधनिलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐसे सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते हैं उन्हें सेवा से बर्खास्तधनिलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

100 माईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम 01 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 100 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक ;प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्डे बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिकए प्लास्टिक झण्डेए कैंडी स्टिकए आईस्क्रीम स्टीकए सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोलए प्लास्टिक प्लेट्सए कपए ग्लासए फोर्कए चम्मचए चाकूए स्ट्राए टेए स्वीट बाक्सए निमंत्रण पत्रए सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्मए प्लास्टिक स्टिर्स व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनरद्ध के उपयोग को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टिक ;पॉलीथीनद्ध निर्माताए भण्डारकर्ताए विक्रेताए दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 100 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एवं ंना ही भण्डारणए विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छए सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराये रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरुद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही रतलाम 01 मार्च । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाख में अनिवार्य रूप से कराये अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जाा ह तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे श्वान पालक जिन्होंने अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें नगर निगम द्वारा सूचना पत्र जारी किये जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले श्वान पालकों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रुपये 1000₹. एवं लायसेंस शुल्क रुपये 500₹. प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100₹. रुपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम् 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने श्वान के गले में पट्टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

दिलबहार चौराहे पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिबिर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली शिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 93⁷⁶⁸ लाख व जलकर 24¹⁶ लाख की बकाया राशि जमा कराई

रतलाम 01 मार्च । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर आयोजित किये गये हैं जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकरण, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किस्त तथा भूभाटक की बकाया राशि जमा करा सकेंगे।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 3²⁸8²²₹ व जलकर 54⁸⁵⁰₹, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1⁶²5⁷⁵₹ व जलकर 34⁵²⁰₹, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 3⁰²0¹³₹ व जलकर 63⁴⁵⁰₹, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1⁸⁵2⁹²₹ व जलकर 1¹⁹7²⁰₹, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 3²⁰8⁵⁷₹ व जलकर 62⁹⁵⁰₹, तिरूपति नगर शिविर में संपत्तिकर 1²⁸9⁷⁷₹ व जलकर 28⁸⁷⁰₹, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 2¹⁶0⁰⁰₹ व जलकर 14⁰⁰⁰₹, इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास शिविर में संपत्तिकर 2⁵¹6⁰⁰₹ व जलकर 1⁰⁴6⁴⁰₹, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 8⁶¹2⁰⁶₹ व जलकर 1²¹0⁹⁰₹, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 2¹⁴0⁰⁰₹ व जलकर 47⁰⁰⁰₹, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 2⁵⁴4²²₹ व जलकर 83⁷⁰⁰₹, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 1⁷¹5⁰⁰₹ व जलकर 27⁵⁴⁰₹, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1⁹⁶2⁸¹₹ व जलकर 40²⁴⁰₹, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1⁴⁵0⁰⁰₹ व जलकर 31⁷⁶⁰₹, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 3³⁶0⁷⁷₹ व जलकर 72⁴⁴⁰₹, वेदव्यास

कालोनी शिविर में संपत्तिकर 98ए534६ व जलकर 37ए465६ए कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 87ए732६ व जलकर 36ए660६ए दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2ए91ए455६ व जलकर 92ए125६ए बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 4ए97ए298६ व जलकर 64ए770६ए रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1ए59ए241६ व जलकर 28ए140६ए लक्कड़पीठा शिविर में संपत्तिकर 6ए11ए920६ व जलकर 1ए56ए600६ए धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 3ए60ए338६ व जलकर 1ए67ए280६ए किरण टॉकिज शिविर में संपत्तिकर 3ए89ए541६ व जलकर 76ए625६ए आनन्द कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1ए20ए807६ व जलकर 37ए520६ए प्रताप नगर शिविर में संपत्तिकर 1ए91ए836६ व जलकर 72ए860६ए महावीर नगर शिविर में संपत्तिकर 87ए741६ व जलकर 37ए140६ पैलेस रोड शिविर में संपत्तिकर 2ए81ए036६ व जलकर 89ए570६ए चौगानिया भैरू मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 91ए157६ व जलकर 46ए510६ए सायर चबुतरा शिविर में संपत्तिकर 1ए62ए036६ व जलकर 1ए05ए060६ए चौमुखी पुल शिविर में संपत्तिकर 5ए20ए421६ व जलकर 1ए62ए610६ए बजाजखाना शिविर में संपत्तिकर 3ए19ए606६ व जलकर 98ए030६ए शास्त्रीनगर शिविर में संपत्तिकर 4ए48ए489६ व जलकर 1ए10ए940६ए दो बत्ती शिविर में संपत्तिकर 2ए88ए212६ व जलकर 77ए175६ए दिलबहार चौराहा शिविर में संपत्तिकर 1ए21ए060६ व जलकर 47ए020६ की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरो के वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये हैं।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये हैं इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

3141 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 112 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 01 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हें प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2636 हितग्राहियों को राशि रुपये 10ए000६ तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 205९ हितग्राहियों को राशि रुपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 107 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रुपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 01 मार्च । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हें तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ

झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 01 मार्च । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 01 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्राइवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक

कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 01 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है। जिसके तहत वार्डों की सड़कए गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें

यदि वार्डों में साफ़ सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारजसंविहेमन्त01032022नपाणिगमए रतलाम